

**मत्स्य निदेशालय**  
**ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, पटना**  
**विज्ञापन**

मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्य के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा एवं मधुबनी जिले के 35 प्रखंडों हेतु मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 35 पदों पर संविदा के आधार पर अधिकतम एक वर्ष तक के लिए नियोजन करने हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से चयनित मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का मुख्यालय प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में होगा परन्तु इनके नियंत्री पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी होंगे। इस नियोजन के लिए विशेष विवरण निम्नांकित हैं :-

(क) नियोजित किये जाने वाले पद का नाम	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
1. नियोजित किये जाने वाली पद की संख्या	35 (सामान्य-13, अनु0 जाति-02, अनु0 जनजाति-01, अ0पि0वर्ग0-13, पि0वर्ग-03, पि0व0महिला-03 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-62, दिनांक-05.01.07 के निदेश के आलोक में निःशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। 2. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प सं0-13185 दिनांक 03.09.2015 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। 3. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प सं0- 963 दिनांक 20.01.2016 के आलोक में सभी कोटि में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। अधिकतम एक वर्ष तक। प्रतिमाह 15,000/- रू0 (समेकित)
2. नियोजन की अवधि	31.01.2018 को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
3. नियोजन अवधि में देय पारिश्रमिक की राशि	(i) अनारक्षित 18-37 वर्ष (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग 18-40 वर्ष (iii) अनारक्षित महिला-18-40 वर्ष (iv) अनुसूचित जाति एवं जनजाति 18-42 वर्ष आयु की गणना दिनांक 01.01.2018 से की जाएगी।
4. अनिवार्य न्यूनतम योग्यता	आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण सूचनाओं एवं अभिलेखों के साथ स्वपता अंकित बन्द लिफाफे में निम्नांकित पते पर दिनांक 09.02.2018 तक जमा की जा सकती है। आवेदक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट सेवा से अपना आवेदन भेज सकते हैं किन्तु यह उनकी जवाबदेही होगी कि निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्राप्त हो जाए। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भेजने का पता :- निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, पटना। संलग्न के अनुसार
5. आयु सीमा	
6. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं प्राप्ति स्थान/पता	
7. आवेदन का प्रपत्र	

**टिप्पणी:-**

1. आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र संलग्न है। इसकी प्रति विभागीय वेबसाईट <http://ahd.bih.nic.in> से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. आवेदक अपने सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
3. आवेदन पत्र के साथ दो 16X10 से० मी० के स्वपता लिखित लिफाफे पर 40 (चालीस) रूपये का डाक टिकट चसपा कर संलग्न किया जाएगा।
4. विज्ञापन के आलोक में आवेदकों का चयन निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा अनुशंसित चयन पैनल से किया जाएगा। चयन समिति द्वारा प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री (बी०एफ०एस०सी०) अथवा सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा की परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर वरीयता के क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त हुआ तो अधिक उम्र के उम्मीदवार को अधिमानता दी जाएगी।
5. आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर आवेदक अपना एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ, जिनमें से एक पर कुछ नहीं लिखा जाएगा तथा दूसरा उनके द्वारा स्वअभिप्रमाणित करने के बाद किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार अभिप्रमाणित रहेगा कि अभिप्रमाणित करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर का एक भाग आवेदन पत्र पर और शेष भाग चिपकाए गए फोटो पर रहे। ऐसा नहीं होने पर आवेदन पत्र अमान्य एवं रद्द कर दिया जाएगा।
6. आवेदन पत्र के लिफाफे पर " संविदा के आधार पर नियोजन" अंकित रहना चाहिए।
7. आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा अपने पासपोर्ट साईज के दो फोटो, जिसके पीठ पर आवेदक का नाम अंकित हो, एक छोटे लिफाफे में संलग्न किया जाएगा।
8. आरक्षण की सुविधा केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को देय होगी।
9. आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने/आरक्षण संबंधी जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की दशा में जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
11. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर से संबंधित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
12. आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित फोटो प्रति ही भेजी जाए, कोई भी मूल प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा।
13. विज्ञापित पद के विरुद्ध नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवा को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा और न वे ऐसा कोई दावा कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवार के अतिरिक्त शेष आवेदनों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर रखी जाएगी जिसे आगामी रिक्तियों में रोस्टर अनुसार नियोजन हेतु विचार किया जा सकेगा। इसकी मान्यता 30 जून 2018 तक होगी।
14. संविदा के आधार पर इस विज्ञापन के तहत नियोजित कर्मियों को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी।
15. संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अगर उसका अवधि विस्तार नहीं हो जाता है तो नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत करना आवश्यक नहीं होगा।
16. नियोजन के लिए चयनित उम्मीदवार को नियोजन से पहले नियोक्ता के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
17. विज्ञापन को बिना किसी कारण बताए रद्द करने की शक्ति निदेशक मत्स्य को सुरक्षित रहेगी।

निदेशक मत्स्य  
बिहार, पटना।

**मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना**  
**संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र**

01 पद का नाम  केवल कार्यालय प्रयोग हेतु .....  
कार्यालय में प्राप्ति की तिथि

02. (i) नाम (हिन्दी में) .....

अंग्रजी में .....  
(In Block Letters)

(ii) पिता/पति का नाम (हिन्दी में) .....

अंग्रजी में (In Block Letters). .....

(iii) जन्म तिथि (अंको में) (iv) 01.01.2018 को आयु

दिन		महीना		वर्ष			
-----	--	-------	--	------	--	--	--

वर्ष		महीना		दिन	
------	--	-------	--	-----	--

(v) लिंग

(vi) वैवाहिक स्थिति

03. (i) क्या आप भारत के नागरिक हैं ?

(ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी अधिवासी हैं ?

(iii) क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं ?

(iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें।

02-अ.जा., 03-अ.ज.जा., 04-अ.प.व., 05-पि.व., 06-पि.व.महिला

(v) आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम

(vi) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं ? हाँ/नहीं

(vii) क्या स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/ नाती/ नतीनी हैं? हाँ/नहीं

04. क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक/न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं ? हाँ/नहीं.

05. (i) स्थायी पता

(ii) दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित)

मोबाईल

ई-मेल

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

पूरा नाम एवं पत्राचार का पता

नाम : .....
पता : .....
.....
.....
जिला ..... राज्य .....
पिन कोड : .....

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएं और उसपर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें

उम्मीदवार का हस्ताक्षर: हिन्दी में .....

अंग्रजी में : .....

06. शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय विषय	सत्र	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्थान	बोर्ड विश्वविद्यालय	प्राप्तांक पूर्णांक	प्रतिशत
प्रवेशिकोत्तीर्ण							
इन्टरमीडिएट/+2							
बी०ए०ए०सी०							
सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एडुकेशन, मुम्बई से मत्स्य विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा							

07. उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिह्न :

08. अन्य कोई सूचना:

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में उपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी उपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊंगा/होऊंगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विज्ञापन के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

अनुलग्नक :-

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) .....
- (iv) .....

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ एवं इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित करें कि उसका आधा भाग आवेदन पर एवं आधा भाग फोटो पर रहे।

तिथि : .....

स्थान : .....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर: हिन्दी में

अंग्रेजी में